तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याःडी.ई.–25 (13)/203/वि.कार्य/2017–18/ 1590-1591 दिनांकः– 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 06 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 (150 कापियाँ)

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 06

दिनांक :– 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उप मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी तमाम आदेशों के बावजूद निजी स्कूल ईडब्लुएस कोटे की स्थिति साझा नहीं कर रहे हैं,	जी नही, यह सत्य नहीं है।
(ख)	यदि हा तो सरकार इन स्कूलों के विरूद्ध क्या कार्रवाई कर रही है,	लागू नही होता।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलो द्वारा ईडब्लुएस श्रेणी के अनेक बच्चों को किसी–न–किसी कारण प्रवेश नही दिया जाता तथा सरकार की लचीली नीति का फायदा उठाकर जरूरत मन्दो को प्रवेश न देकर पैसे लेकर खाली सीटो को सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता है? इस पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट करें,	यह सत्य नही है। ऐसा कोई मामला सज्ञान में नहीं आया है कि पैसे लेकर सामान्य श्रेणी के बच्चों को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में प्रवेश दिया गया हो। जहॉ स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी जरूरतमंद बच्चे के प्रवेश मे कोई कठिनाई पैदा की जाती है वहॉ संबधित जिला के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा दाखिला सुनिश्चित कराया जाता है। इस संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी न 3358/2013 मे जारी फैसले दिनांक 03/09/2013 के अनुसार सामान्य श्रेणी के अनुपात में दाखिले न होने पर निजी स्कूल, ई डब्ल्यू एस / डी जी श्रेणी के बच्चो को "इन वेटिंग" श्रेणी मे रख देते हैं। इस स्थिति पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेशानुसार शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 25/04/2018 और 24/07/2018 को ज्ञापन जारी किये है तथा "इन वेटिंग" आवेदकों को भी प्रवेश मिल जाये, विभाग द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।
(घ)	चालू शिक्षा सत्र मे अब तक कितनी सीटें ईडब्लुएस कोटे से भरी गई हैं और कितनी खाली हैं,	सत्र 2018–19 मे कुल 43882 सीटों के लिये ड्रा किया गया था और अभी तक कुल 31526 सीटें भरी गई हैं, लगभग 9064 मामलों मे स्कूलो से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आवंटित सीटों के लिये सबधित अभिभावको ने दाखिले हेतु आवटित स्कूलों से संपर्क ही नहीं किया है। बाकी बची सीटो में दाखिले की प्रकिया अभी भी जारी है।
(ड)	जरूरत मन्द बच्चे इस योजना का फायदा उठा सके, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है,	इस योजना का लाभ सभी योग्य आवेदक उठा सके इसके लिये प्रवेश प्रकिया के दौरान काफी प्रचार किया जाता है ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक अभिभावकों के पास पहुंच जाये, जैसे कि – शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर ड्रा का पूर्ण विवरण दिया जाता है, समय समय पर समाचार पत्रों मे विज्ञापन दिये जाते हैं, रेडियो जिगल के द्वारा तथा हेल्पलाइन नं. के द्वारा भी प्रचार किया जाता है।
(च)	सरकार द्वारा ईडब्लुएस श्रेणी के बच्चो को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूलो पर कितना व्यय किया जा रहा है, और	दिल्ली सरकार द्वारा ईडब्लूएस श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिये विगत वर्षो मे निजी स्कूलों पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है:–
(छ)	प्राइवेट स्कूल प्रबधन की इसमे क्या भूमिका है?	मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय के नियमानुसार आवटित ई डब्ल्यू एस उम्मीदवार को दाखिला देना।

वर्ष	व्यय (रू लाखों में)
2011–12	161.39
2012–13	422.28
2013–14	1174.80
2014–15	2458.00
2015–16	3447.33
2016–17	3686.37
2017–18	5827.06

DBE (PCMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi